**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 105**

**गुरुवार, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (शक)**

**असंगठित क्षेत्र में कामगारों की समस्याएं**

***105. श्री राम नाथ ठाकुर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से पैसा उधार ले रहे हैं; और

(ख). असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विगत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार मंत्री**
**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

**"असंगठित क्षेत्र में कामगारों की समस्याएं" के संबंध में श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा पूछा गया, दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क) और (ख): सरकार असंगठित श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और उनकी आजीविका और आय में सुधार करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं चला रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई पहलें की हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है;

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 11.46 करोड़ और 26.23 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, जो कि एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है, के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत, 01 फरवरी, 2022 तक कुल 17.58 करोड़ व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना नामक एक पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक 28.1.2022 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 46 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को नामांकित किया गया है।
- कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित फेरी लगाने वालों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.06.2020 से पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई है। दिनांक 27.01.2022 की स्थिति के अनुसार, पीएम स्वानिधि योजना के तहत 28 लाख से अधिक फेरी लगाने वालों को लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है।
- राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, 1.83 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों को लगभग 5618 करोड़ रुपये और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, 1.23 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों को लगभग 1795 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत, दिनांक 01.04.2020 से मजदूरी को 182.00 रुपये से बढ़ाकर 202.00 रुपये प्रति दिन किया गया है। अभी तक, वर्ष 2021-22 में कुल 303.51 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए हैं।
- कोविड महामारी के मद्देनजर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) नामक एक अभियान शुरू किया था, ताकि वापस आने वाले प्रवासी कामगारों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमजीकेआरए ने मिशन मोड अभियान के अंतर्गत 6 राज्यों के 116 जिलों को

कवर किया। जीकेआरए दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो गया और इस अभियान के अंतर्गत कुल 39,293 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 50.78 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने स्व-रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामले मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित क्रमशः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी विभिन्न योजनाएं भी प्रारम्भ की हैं।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के कामगारों को केंद्र/राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं की सुपुर्दगी की सुविधा हेतु असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के उद्देश्य से दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल प्रारम्भ किया। दिनांक 07.02.2022 की स्थिति के अनुसार, 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है।

****